रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 492] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25, 1971/आश्विन 3, 1893

No. 492] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1971/ASVINA 3, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September 1971

S.O. 3598:—In exercise of the powers conferred by section 49A of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Admission as Advocates (Training and Examination) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Admission as Advocate (Training and Examination) (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Admission as Advocates (Training and Examination) Rules, 1968, in clause (d), for the figures, letters and words "31st day of December, 1970", the figures, letters and words "31st of December, 1973" shall be substituted.

[No. F. 41(14)/71 J.]

S. S. SHETTY, Jt. Secy. and Legal Adviser.

PRINTED BY THE CONTROLLER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1971

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1971

का० आ० 3598—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 19क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता के रूप में स्वीकृति (प्रशिक्षण और परीक्षा) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिवक्ता के रूप में स्वीकृति (प्रशिक्षण और परीक्षा) (संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिवक्ता के रूप में स्वीकृति (प्रशिक्षण और परीक्षा) नियम, 1968 में, खण्ड (ब) में, "दिसम्बर, 1970 के 31वें दिन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "दिसम्बर, 1973 के 31वें दिन" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० फा० 41(14)/71—न्या०]

एस० एस० शेट्टी,
संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1971